

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

विषय:- संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में।

[Reg. - ₹ 4,00,000.00 (Rupees Four Lakh) only Ex-gratia grant is to be sanctioned for Contractual basis Employee's dependent during service period death of Data Entry Operator/Executive Assistance/ I.T. Assistant & I.T. Manager.]

राज्य सरकार ने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार के द्वारा नियोजित एवं संविदा पर नियोजित कर्मियों को सेवा अवधि के दौरान मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके आश्रितों को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

2. उक्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दिनांक 27.07.2015 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा रिपोर्ट कार्ड जारी करने के अवसर पर विभिन्न घोषणाएँ की गईं, जिसमें से नियोजित कर्मियों के लिये भी अतिमहत्वपूर्ण घोषणा थी।

3. उक्त घोषणा के अनुसार "सभी नियोजित शिक्षक, टोल सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्ता, ममता, ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका, विद्यालय के रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय/सहायक अभियंता एवं चिकित्सक, किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि दी जायेगी।"

4. चूंकि संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि दिये जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

5. अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सूचना प्रावैधिकी विभाग के गैर योजना मद व्यय शीर्ष-मुख्य शीर्ष-3451-सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-090-सचिवालय, उपशीर्ष-0027-सूचना प्रावैधिकी विभाग, विपत्र कोड-N-3451000900027, विषय शीर्ष-31 02-अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत प्रावधानित की जानी वाली राशि से किया जायेगा।

5. यह योजना माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किये गये घोषणा की तिथि यानि दिनांक 27.07.2015 से प्रभावी होगी।

7. उक्त संकल्प को दिनांक 22.08.2015 को मद संख्या-43 के रूप में मंत्रिपरिषद् के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-सह-पठित झापांक-1253 दिनांक 24.08.2015 को पूर्ण रूप से विलोपित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/अनुमंडलाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10/08/2015
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०)-16/2015/1552

पटना, दिनांक 09/11/15

प्रतिलिपि : (अनुलग्नक सी० डी० सहित) उप सचिव, बिहार गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी पाँच सौ प्रतियाँ को सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को भेजने हेतु प्रेषित।

~~9/11/15~~
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०)-16/2015/1552

पटना, दिनांक 09/11/15

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~9/11/15~~
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०)-16/2015/1552

पटना, दिनांक 09/11/15

प्रतिलिपि : सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सभी अनुमंडलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

~~9/11/15~~
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-01-सू०प्रा०(स्था०)-16/2015/1552

पटना, दिनांक 09/11/15

प्रतिलिपि : माननीय मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/सभी मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

~~9/11/15~~
सरकार के सचिव

नोट :- संविदा पर सभी नियोजित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक/आई०टी० मैनेजर की सेवा अवधि के दौरान मृत्यु पर उनके निकटतम आश्रित को ₹ 4,00,000.00 (चार लाख) मात्र अनुग्रह अनुदान की राशि प्रदान किये जाने से संबंधित संकल्प को इन्टरनेट पर बेवसाईट { HYPERLINK "http://gov.bih.nic.in" } एवं { HYPERLINK "http://www.biharonline.gov.in" } के माध्यम से डाउन लोड किया जा सकता है।